

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उद्धम सिंह नगर।
ईमेल—cfoudn.ukfs@gmail.com,

फोन नं०—०५९४४—२४००७१

पत्रांक: कमांक—४८, न—३/एफ०एस०/ऑनलाईन/२०२३

दिनांक जून 21, 2023

स्वामी/प्रबन्धक
मै० सराफ पब्लिक स्कूल
लोहिया हैड रोड खटीमा
उद्धम सिंह नगर।


विषय :— अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं०—५४०१३८९६ दिनांक 13-06-2023 के अनुसार मै० सराफ पब्लिक स्कूल लोहिया हैड रोड खटीमा उद्धम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र खटीमा द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र खटीमा को निरीक्षण आख्या के अनुसार स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः मै० सराफ पब्लिक स्कूल लोहिया हैड रोड खटीमा उद्धम सिंह नगर को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 21 जून 2023 से 20 जून 2026 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

- 1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सेटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवशेष मुक्त रखी जाय।
- 2 आपके संस्थान के सभी कार्यालयों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्कर्षण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, बैटरीलेशन, एट्रेक्चर, स्टेविलिटी, सेट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- 5 संस्थान के विरतार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानवित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।
- 6 विद्युत रिवच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।
- 7 विद्यालय में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित होने पर कम्प्यूटर लैब में 02 अदद सीओ२ फायर एक्सटिग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा, अन्य लैब में 02 अदद एवीसी फायर एक्सटिग्यूशर क्षमता 5 किग्रा एवं 04 अदद सेण्ड बैकेट, तथा जनरेटर के पास एक अदद एवीसी फायर एक्सटिग्यूशर क्षमता 5 किग्रा व 04 अदद सेण्ड बैकेट गिर्धारित प्लेटफार्म पर स्थापित किया जाना आवश्यक है।
- 8 फैक्ट्री परिसर से लगी हुयी कक्षाओं में छोटे बच्चों की बलासों का रांचालन नहीं किया जायेगा।


वडा लोहिया साइट
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
उद्धम सिंह नगर


PRINCIPAL
SARAF PUBLIC SCHOOL
LOHIA HEAD ROAD, KATIMA
U.S. NAGAR (U.K.)